

Schedule XLIII—High Court (N^o) 73C. बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया । (ए०पी०)
 (WARRANT TO LEVY A FINE BY DISTRESS AND SALE

[No XXXVII, SCHEDULE V, ACT V, 1898.]

(Section 386 of the Code of Criminal Procedure.)

कुर्क और नीलाम के जरिये से जुर्माना वसूल करने
 के लिये वारण्ट ।

(दफा ३८६, मजमूरए जमाविते फौजदारी ।)

(१) नाम वा लकड़ ब-ना (१)
 उदाहरण पूर्ण या
 एकादश नाम वा, जो
 वारण्ट जारी करे ।

ब-तारीख

माह

सन १९

ई०

[२] नाम वा निशान हुजूर से ब-जुर्म (३)
 मुजरिम । मुजरिम करार पाया है और मोबलिय खया जुर्माना का उन पर हुकम

[३] मुखतसर जो हुआ है और चूंकि (४)
 जुर्म का लिखें । मजकूर ने बायजूर तलब किये जाने

[४] नाम । जुर्माना मजकूर के जुर्माना या कोई जुर्मो जुर्माना मजकूर अदा नहीं
 किया है इस लिये इस के जरिये से आप को हुकम होता है के जो कुछ
 [५] नाम । जावदाद मसकूला (५)

[६] तयारद बित्त मजकूर का अन्दर इलाके जिला के पाये जावे
 या साल माअन का लिखें ।

इस को ब जरिये कसबा के कुर्क करें और अगर कुर्की मजकूर के बाद हो (६)
 के अन्दर (या फौरन) मोबलिय मजकूर अदा न हो तो कुर्की की हुई जावदाद
 मसकूला या उस अन्दर हिस्सा को जो जुर्माना मजकूर के वसूल होने के लिये
 काफा हो नीलाम कर और इस वारण्ट के तामाज होतो ही कियेत इस
 अन्दर को, के आप ने उक्त के ब-मुजिब खया कारेशाई का वापस कर ।

से द खया और अदालत के मोर से शिवा गया ।

आता ता०

माह

सन १९